© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology
DOI : https://doi.org/10.32628/IJSRST

बाल मजदूरी के लिए चाइल्ड लाइन एक वरदान

मो. शहनवाज़
गवेषक, समाजशास्त्र विभाग
ल.ना.मि.विश्वविद्यालय, दरभंगा।

बचपन, मानव जीवन का एक ऐसा समय जो सारी परेशानियों, ईर्ष्या, द्वेष, छल–कपट और लालच से परे होता है। बचपन खुशियों से भरा होता है, यह वह समय होता है जिसे हर मनुष्य दोबारा जीना चाहता है क्योंकि उम्र के इस पड़ाव के बाद मनुष्य जीवन रूपी संघर्षों के चक्र में फंस जाता है और सारा जीवन बस तोड़–जोड़ में ही निकाल देता है। इसलिए बचपन का महत्व सबसे अधिक है, किन्तु आज देश भर में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न जगहों पर छोटी–सी उम्र में काम करते हैं और अपने सपनों, आजादी और शिक्षा से कोसो दूर हैं। उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए स्वयं ही काम करना पड़ता है। विश्व भर में भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है जो देश की जनसंख्या का 11 प्रतिशत है, अर्थात भारत में 10 लोगों में से 1 बच्चा बाल श्रमिक है । 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाल मजदूरी की संख्या 1.01 करोड़ है जिसमे से 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां है ।यदि पूरे विश्व की बात करें तो कुल मिलाकर सम्पूर्ण विश्व में 15.20 करोड़ बच्चे तथा 6.4 करोड़ लड़कियां बाल मजदूर है । सबसे दुखद तो यह है कि कुछ कठिन कार्यों में भी उन्हें मजदूरी के लिए लगाया जाता है जैसे पटाखों की फैक्ट्री में, ईट भटटों पर, कारखानों आदि। इसके अलावे कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ प्राय: ये बाल श्रमिक गाहे–बगाहे दिख जाते हैं, जैसे चाय की दुकानों पर, घरेलु काम काज में, गलीचा बुनने में, कपड़ों की दुकान में आदि। जिस बचपन को सपनों की आकाश में उड़ना चाहिए वही बचपन जब किसी फैक्ट्री, चाय की दुकान अथवा कारखानों में काम करता दिख जाता है तो ऐसा लगता है मानों इस विश्व में मानवता का कोई स्थान नहीं है।

बाल मजदूरी और बाल शोषण के अनेक कारण है जिसमे गरीबी, सामाजिक मापदंड, वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्यों को करने के अवसरों की कमी, प्रवास और इमरजेंसी भी शामिल है। बच्चों की तस्करी का मामला भी काफी डराने वाला है तथा उनका यौन शोषण होना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को अवरोध करता है। ऐसे बच्चों को शारीरिक, मानसिक, यौन तथा भावनात्मक सभी प्रकार के उत्पीड़न सहने पड़ते हैं जैसे बच्चों को वैश्यावृति की ओर जबरन धकेला जाता है, शादी के लिए मजबूर किया जाता है या गैर–क़ानूनी तरीके से गोद लिया जाता है ओर यहाँ तक कि इनके हाथों में हथियार भी थमा दिए जाते हैं। बाल तस्करी बच्चों के लिए हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा एच आई वी संक्रमण (इंफेक्शन) का खतरा पैदा करती है।

कहते हैं कि बंजर भूमि पर यदि ओस की बूंदें पड़ती हैं तो आशा कि किरण दिखने लगती हैं ।यह सच है कि भारतवर्ष में बाल मजदूरों कि संख्या सबसे अधिक है किन्तु इनके खिलाफ विभिन्न NGO संस्थाएं आगे बढ़कर आई है ओर इस बाल मजदूरी को समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। ऐसी ही संस्थाओं में चाइल्डलाइन अग्रणी है।

चाइल्ड लाइन, बच्चों कि सेवा व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर कि 24 घंटे कि फ़ोन सेवा है। शुरुआत में 1996 में, मुंबई से इसकी शुरुआत हुई और अब देश भर के 30 राज्यों के 279 शहरों में यह संस्था अपनी सेवायें प्रदान कर रही है।

चाइल्ड लाइन का उद्देश्य अधिकारहीन बच्चों का पुनर्वास करना और देखभाल करना है। चाइल्ड लाइन आवासीय स्थलों में राहत और पुनर्वास, चिकित्सा व भावनात्मक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाइल्ड लाइन के द्वारा बहुत सारे मौकों पर बाल मजदूरों को इस घृणित कार्य से निकलवाया गया है। उदाहरण के तौर पर इंदौर के सेंट राफेल स्कूल कि सिस्टर

रोजीला द्वारा इस संस्था को फ़ोन किया गया यह फ़ोन इंदौर में एक बड़े घर में काम करने वाली लड़की रूमी के बारे में था। आर्थिक तंगी के कारण रूमी को अपने गांव से पलायन करना पड़ा। वह अपने मामा के साथ इंदौर शहर आ गई। रूमी के मामा ने पैसे के लालच में उसे एक अमीर परिवार को 20 हजार रु में बेच दिया। उसे घरेलु नौकर की काम करना पड़ा और मालिक की गलियां सुननी पड़ी। महज 12 वर्ष की छोटी उम्र में उसे यौन शोषण की वेदना से गुजरना पड़ा जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। सिस्टर रोजीला के फ़ोन के बाद चाइल्ड लाइन की टीम फ़ौरन हरकत में आई और उसने मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस को दी। चाइल्ड लाइन ने पुलिस के साथ मिलकर बच्चे को उसी दिन ही ढूंढ लिया। और रूमी को उस परिवार से छुड़ा कर पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने चाइल्ड लाइन की इस बचाव अभियान में भरपूर मदद की।

इसी प्रकार जयपुर के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने 1098 पर फ़ोन करके टीम को बताया कि 70 बच्चों को अवैध रूप से सियालदह एक्सप्रेस से जयपुर से आगरा ले जाय जा रहा है। चाइल्ड लाइन ने फ़ौरन हरकत में आते हुए ट्रैन का समय और उसका प्लेटफार्म नंबर पता किया जिस पर वह ट्रैन आने वाली थी। इसके बाद टीम ने जीआरपी और पुलिस को एक आवेदन पत्र के माध्यम से बच्चों को बचने के लिए मदद मांगी। जीआरपी की मदद से दो दल बनाये गए। जैसे ही ट्रेन आई दोनों दल ट्रेन की ओर लपके और बच्चों को छुड़ा लिया गया। इस अभियान में 60 बच्चे छुड़ाए गए तथा 9 लोग गिरफ्तार किये गए। चाइल्ड लाइन नामक संस्था ऐसे छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है क्योंकि इस संस्था द्वारा बहुत से बच्चों का भविष्य अन्धकार में जाने से बचा है। चाइल्ड लाइन की टीम इतनी सजग है कि ऐसे मामलों में वह पालक झपकते ही घटनास्थल पर पहुँच जाती है। प्रत्येक राज्य में चाइल्डलाइन की टीम कार्यरत है और बाल मजदूरी के खिलाफ काफी जोर–शोर से मुहिम चला रही है।

वैसे हम बालश्रम के ऊपर बात करें और श्री कैलाश सत्यार्थी का नाम न आये तो अतिश्योक्ति होगी। कैलाश सत्यार्थी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना सारा जीवन ही बालमजदूरी के खिलाफ किया है। उनका मानना है कि हर वह श्रम जो बच्चों की इच्छा के खिलाफ कराया जाय वह बालश्रम के अंतर्गत आता है, फिर चाहे वह फिल्म और टेलीविज़न में बच्चों द्वारा कराया जाने वाला काम ही क्यों न हो। ध्यातव्य है कि कैलाश सत्यार्थी विश्व का सबसे बड़ा कहा जाने वाला खिताब नोबेल प्राइज भी उन्हें बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए ही मिला है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ

1 बियॉन्ड चाइल्ड लेबर – अफर्मिंग राइट्स, 2001, यूनिसेफ
2 चिल्ड्रेन एन्ड वर्क, एनुअल रिपोर्ट्स 2009 , भारत सरकार
3 धारीवाल नवदीप, 13 जून 2006 , चाइल्ड लेबर – इंडिआस चीप
4 ए फ्यूचर विदाउट चाइल्ड लेबर 2002 , इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन, जेनेवा
5 विकास का समाजशास्त्र, राव राम मेहर सिंह, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली – 02